	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***
	भाद्र 12, गुरूवार, शाके 1942–सितम्बर 3, 2020 *Bhadra 12, Thursday, Saka 1942–September 3, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 11, 2020

संख्या प.10(39)कृषि/ग्रुप-2/76/पार्ट :-जैसाकि राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 4(2) एवं धारा 5(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना दिनांक 10.04.2020 से व्यक्ति द्वारा प्रबंधित गौण मण्डी प्रांगण स्थापित करने की धोषणा की गई थी। उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 99, क्रम संख्या 263 से 272 एवं क्रम संख्या 390 से 393 से धोषित निजी गौणमण्डी प्रांगणों को अनाधोषित (Denotify) करते हुए उक्त क्रमांकों पर अंकित प्रविष्ठियों को प्रत्याहरित किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
डॉ.एस. पी. सिहं,
संयुक्त शासन सचिव।

5557

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।